प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 17.10.2020

गैंगस्टर एक्ट में वांछित/ 25000 रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा) -

कल दिनांक 16.10.2020 को गुण्डा/गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गये अभियान के क्रम में जनपद के थाना जेठवारा से व0उ0नि0 शंकर सिंह यादव, उ0नि0 सतीश यादव मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 02/20 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अख्तर पुत्र मुख्तार उर्फ मुस्ताक निवासी शुकुलपुर थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया था, को थानाक्षेत्र जेठवारा के पदनाथपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 446/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अख्तर पुत्र मुख्तार उर्फ मुस्ताक के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अख्तर पुत्र मुख्तार उर्फ मुस्ताक निवासी शुकुलपुर थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

अभियुक्त अख्तर का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 142/18 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भादंवि थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 02/20 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 446/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- व0उ0नि0 शंकर सिंह यादव, उ0नि0 सतीश यादव मय हमराह थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस मुठभेड़ में 06 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन लूट के, 01 अपाचे मो0सा0 चोरी की, 05 अदद कूटरचित नम्बर प्लेट व नगदी बरामद (थाना कोतवाली नगर)

दिनांक 16/17.10.2020 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सीताराम धाम के पास लूट की सूचना प्राप्त हुई, इस सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूटेरों की तलाश हेतु सभी सम्भावित स्थानों पर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 श्री अनिल कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री विवेक कुमार मिश्रा मय हमराह व स्वाट टीम प्रतापगढ़ खजुरनी गांव के पास पहुंचे तो 02 मो0सा0 सवार संदिग्ध व्यक्ति रोड पर आते दिखाई दिये जिन्हें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वे पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिये व भागने लगे जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर 03 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया व 02 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। पकड़े गये व्यक्तियों की निशादेही पर अन्य स्थानों पर दबिश दी गई जहां से 03 अन्य व्यक्तियों को चोरी/लूट के सामान के साथ हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. इरफान पुत्र शेरअली निवासी चिलबिला थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़
02. फरहन पुत्र फारूक निवासी माधूपुर थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़
03. चांद मोहम्मद पुत्र ताज मोहम्मद निवासी फुर्सतगंज थाना अमेठी जनपद अमेठी
04. आकाश पाल पुत्र अरिहन्त पाल निवासी भुवालपुर थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़
05. राजेश विश्वकर्मा पुत्र कन्हैया विश्वकर्मा निवासी देल्हूपुर थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़
06. मोबीन खान पुत्र कौसर अली निवासी बीरमऊ थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी का विवरण-

01. 10 अदद लूट के मोबाइल फोन
02. 05 अदद कूटरचित नंबर प्लेट
03. 01 अदद अपाटे मो0सा0 चोरी की

04. 800 रूपये नकद लूट का

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

1. मु0अ0सं0 943/20 धारा 307, 34 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 944/20 धारा 411, 413, 414, 467, 468, 471 भादंवि, जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 945/20 धारा 28 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ बनाम इरफान उपर्युक्त
4. मु0अ0सं0 946/20 धारा 28 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ बनाम फरहान उपर्युक्त

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक छिनैती/लूट करने वाला गिरोह है, हम लोग विभिन्न स्थानों पर आने-जाने वाले राहगीरों से लूट करते हैं, हम लोगों के पास से जो सामान बरामद हुआ है ये सभ लूट का ही है। इरफान द्वारा बताया गया कि आज रात को सीताराम धाम के पास से 01 मोबाइल छीन कर इसी अपाचे मो0सा0 से भागे थे जिसे फरहान को बेचने के लिए दिया था जो आप लोगों के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इरफान ने बताया कि साहब जो हमारे दोनो साथी भागे हैं वे अरबाज और जोसेफ है, जोसेफ ही मोटर साइकिल चोरी करने का काम करता है और अरबाज व चांद मोहम्द के साथ मिलकर मैं लूट और छिनैती करता हूं, जो अपाचे मोटर साइकिल हम लोगों के पास मिली है यह जोसेफ ने चुराकर हम लोगो को दी थी।

नोट- अभियुक्तों द्वारा पूर्व में कारित लूट/छिनैती की घटनाओं से सम्बन्धित घटनास्थल/अभियोगों का विवरण निम्नवत् है।

<u>पंजीकृत अभियोगों का विवरण-</u>

01. मु0अ0सं0 938/20 धारा 392 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ (घटनास्थल- छैवापुल)
02. मु0अ0सं0 942/20 धारा 392 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ (घटनास्थल- सीताराम धाम)
03. मु0अ0सं0 358/20 धारा 394, 504, 506 भादंवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ (घटनास्थल- कुम्भापुर)
04. मु0अ0सं0 301/20 धारा 392, 504भादंवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ (घटनास्थल- राजापुर महोखरी)
05. मु0अ0सं0 173/20 धारा 392 भादंवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ (घटनास्थल- भइयापुर बर्रा)
06. मु0अ0सं0 460/20 धारा 394, 506 भादंवि थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ घटनास्थल- गनई डीह)

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अनिल कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री विवेक कुमार मिश्रा मय हमराह व स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़।

<u>चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार रू0 का इनामिया वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, अवैध तमन्चा, कारतूस, बिना नम्बर की मोटर साइकिल व लूट का मोबाइल फोन बरामद -</u>

दिनांक 16/17.10.2020 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सीताराम धाम के पास से लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूटेरों की तलाश हेतु सभी सम्भावित स्थानों पर सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को ग्राम खजुरनी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया व 02 अभियुक्त मौके से फरार हो गये। इस पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री प्रवीण कुशवाहा मय हमराह द्वारा भागे हुए अभियुक्तों की तलाश में सम्भावित स्थानों पर दबिश/चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास ने सूचना दी कि दो व्यक्ति पैशन प्रो0 मो0सा0 से रानीगंज मार्ग से औव्वार पुल की तरफ आ रहे हैं सम्भवतः ये वही व्यक्ति हैं जो अभी खजुरनी गांव के पास से भागे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा औव्वार पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों को रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया, इस दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक अभियुक्त अरबाज खान पुत्र मुख्तार नि0 चालाकपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ घायल हो गया जिसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, व एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। अभियुक्त अरबाज के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोबाइल फोन (लूट का) व 01 अदद पैशन प्रो मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद किया गया है। अभियुक्त अरबाज के विरूद्ध चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट जैसे गम्भीर अपराध के करीब 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 686/18 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 41, 411 भादंवि

का वांछित अभियुक्त है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित है। फरार अभियुक्त के बारे में पूछने पर बताया कि उसका नाम जोसेफ पुत्र जैनुद्दीन निवासी नसीरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- **अरबाज खान पुत्र मुख्तार नि0 चालाकपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़**

फरार अभियुक्त का विवरण-

- **जोसेफ पुत्र जैनुद्दीन निवासी नसीरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़**

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0 947/20 धारा 307 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ बनाम उक्त दोनों अभियुक्त
02. मु0अ0सं0 948/20 धारा 411, 413, 414 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ बनाम उक्त दोनों अभियुक्त
03. मु0अ0सं0 949/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ बनाम अरबाज खान

अभियुक्त अरबाज का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 54/18 धारा 379 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 75/18 धारा 379 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 81/18 धारा 411, 419, 420, 467, 468 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 668/18 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 41, 411 भादंवि थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 399/18 धारा 41, 411 भादंवि थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 397/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 396/18 धारा 307 भादंवि थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
08. मु0अ0सं0 392/18 धारा 392, 506 भादंवि थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
09. मु0अ0सं0 20/18 धारा 379, 411 भादंवि थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 385/18 धारा 392, 411 भादंवि थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 118/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री प्रवीण कुशवाहा मय हमराह व स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)-

जनपद के थाना जेठवारा से उ0नि0 श्री राम अवतार सचान मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 61/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम में वांछित अभियुक्त मोहित यादव पुत्र ओमकार नाथ यादव निवासी हसनपुर कोरारी थाना थरवई जनपद प्रयागराज को थानाक्षेत्र थरवई जनपद प्रयागराज के ग्राम हसनपुर कोरारी से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक – 17.10.2020